[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2015

अधिसूचना

सा.का.नि. 529 (अ).- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (2015 का 22) की धारा 85 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण नियम, 2015 है ।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** – (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) ''अधिनियम'' से काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (2015 का 22) अभिप्रेत है ;

(ख) ''अध्याय'' से इस अधिनियम का अध्याय अभिप्रेत है ;

(ग) ''प्ररूप'' से इन नियमों से संलग्न कोई प्ररूप अभिप्रेत है ;

(घ) ''आय-कर अधिनियम'' से आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है ;

(ङ) ''धारा'' से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम, आयकर अधिनियम, 1961 या उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके क्रमश: उन अधिनियमों और नियमों में हैं ।

3. **उचित बाजार मूल्य** – (1) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए आस्तियों के उचित बाजार मूल्य का अवधारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) सोना-चांदी, आभूषण या बहुमूल्य रत्न का मूल्य,

(I) अर्जन की उसकी लागत से उच्चतर होगा ; और

(II) उस कीमत से उच्चतर होगा, जो कि ऐसे सोना-चांदी, आभूषण, बहुमूल्य रत्न को जिसके लिए निर्धारिती भारत से बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त मूल्यांकक या किसी विनियम या विधि के अधीन सोना-चांदी आभूषण या बहुमूल्य रत्न के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए उसके किसी अभिकरण से रिपोर्ट अभिप्राप्त कर सकेगा, साधारणतया मूल्यांकन की तारीख को खुले बाजार में बेचे जाने पर प्राप्त होती ;

(ख) पुरातत्वीय संग्रहण, रेखाचित्र, पैंटिंग, मूर्तिकला या किसी अन्य कलाकृति (जिसे इसमें इसके पश्चात् कलाकृति कहा गया है) का मूल्यांकन,-

(I) अर्जन की उसकी लागत ; या

(II) वह कीमत, जो उस कलाकृति को साधारणतया मूल्यांकन की तारीख को खुले बाजार में बेचे जाने पर प्राप्त होती, जिसके लिए निर्धारिती भारत से बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मूल्यांकक या किसी विनियम या विधि के अधीन कलाकृति के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए उसके किसी अभिकरण से रिपोर्ट अभिप्राप्त कर सकेगा ;

होगा, इनमें से जो भी उच्चतर हो;

(ग) शेयरों और प्रतिभूतियों का मूल्यांकन—

(I) कोट किए गए शेयर और प्रतिभूतियों का उचित बाजार मूल्य-

(i) अर्जन की उसकी लागत से उच्चतर होगा ; या

(ii) निम्नलिखित रीति से यथा अवधारित कीमत से उच्चतर होगा, अर्थात् :--

(अ) मूल्यांकन की तारीख को किसी स्थापित प्रतिभूति बाजार में कोट किए गए ऐसे शेयरों और प्रतिभूतियों की निम्नतर और उच्चतर कीमत की औसत कीमत ; या

(आ) जहां मूल्यांकन की तारीख को स्थापित प्रतिभूति बाजार में ऐसे शेयरों और प्रतिभूतियों का व्यापार नहीं हुआ है, वहां मूल्यांकन की तारीख से ठीक

पहले की तारीख को किन्हीं स्थापित प्रतिभूति बाजार में ऐसे शेयरों और प्रतिभूतियों की निम्नतम और उच्चतम कीमत की औसत कीमत ;

(II) कोट न किए गए साधारण शेयरों का उचित बाजार मूल्य,--

(i) अर्जन की उसकी लागत से उच्चतर होगा ; या

(ii) मूल्यांकन की तारीख को निम्नलिखित रीति से यथा अवधारित ऐसे साधारण शेयरों के मूल्य से उच्चतर होगा, अर्थात् :--

$$\text{कोट न किए गए साधारण शेयरों का उचित बाजार मूल्य} = \frac{(\text{ए+बी-एल})}{(\text{पीई})} \times (\text{पीवी}),$$

जहां,-

ए = सभी आस्तियों (सोना-चांदी, आभूषण, बहुमूल्य रत्न, कलाकृति, शेयर, प्रतिभूति और स्थावर संपत्ति से भिन्न) का बही मूल्य – (i) संदत्त आय-कर, यदि कोई हो, की कोई रकम, जो दावा किए गए आय कर प्रतिदाय की रकम, यदि कोई हो, से कम है ; और (ii) आस्ति के रूप में दर्शायी गई कोई रकम, जिसके अंतर्गत आस्थगित व्यय की ऐसी परिशोधित रकम भी है जो किसी आस्ति के मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करती है ।

बी = सोना-चांदी, आभूषण, बहुमूल्य रत्न, कलाकृति, शेयर, प्रतिभूतियों और स्थावर संपत्ति का उचित बाजार मूल्य,

एल = दायित्वों का बही मूल्य, किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित रकम नहीं हैं ;

(i) साधारण शेयरों के संबंध में समादत्त पूंजी ;

(ii) अधिमानी शेयरों और साधारण शेयरों पर लाभांश के संदाय के लिए पृथक् रखी गई रकम ;

(iii) अवक्षयण के लिए पृथक् रखे गए आरक्षिती से भिन्न आरक्षिती और अतिशेष, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, परिणामी अंक के ऋणात्मक होने पर भी ;

(iv) कराधान के उपबंध को, प्रतिदाय के रूप में दावा किए गए आयकर की रकम, यदि कोई हो, को कम करके संदत्त आयकर की रकम

से भिन्न प्रतिनिधित्व करने वाली कोई रकम उस विस्तार तक, जो उसको लागू विधि के अनुसार बही लाभ से संदर्भ में संदेय कर के अधिक है ;

(v) अभिनिश्चित दायित्वों से भिन्न दायित्वों को पूरा करने के लिए किए गए उपबंधों को दर्शाने वाली कोई रकम ;

(vi) संचयी अधिमानी शेयरों के संबंध में संदेय लाभांश के बकाया से भिन्न समाश्रित दायित्व का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई रकम ;

पीई = तुलन-पत्र में यथा दर्शित संदत्त साधारण शेयर पूंजी की कुल रकम

पीवी = ऐसे साधारण शेयर का समादत्त मूल्य

(III) किसी कंपनी में के साधारण शेयर से भिन्न कोट न किए गए शेयरों और प्रतिभूतियों का उचित बाजार मूल्य,-

(i) अर्जन की उसकी लागत से उच्चतर होगा ; या

(ii) उस कीमत से उच्चतर उच्चतर होगा, जो कि ऐसे शेयर या प्रतिभूति को, जिसके लिए निर्धारिती ने भारत से बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त मूल्यांकक या किसी विनियम या विधि के अधीन शेयर या प्रतिभूति के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए उसके किसी अभिकरण से रिपोर्ट अभिप्राप्त कर सकेगा, मूल्यांकन की तारीख को खुले बाजार में बेचे जाने पर प्राप्त होती ;

(घ) किसी स्थावर संपत्ति का उचित बाजार मूल्य,-

(I) अर्जन की उसकी लागत ; या

(II) ऐसी कीमत, जो उस संपत्ति को, जिसके लिए निर्धारिती भारत के बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा, जिसमें संपत्ति अवस्थित है, मान्यताप्राप्त मूल्यांकक या किसी विनियम या विधि के अधीन स्थावर संपत्ति के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए उसके किसी अभिकरण से मूल्यांकन रिपोर्ट अभिप्राप्त कर सकेगा, मूल्यांकन की तारीख को खुले बाजार में बेचे जाने पर प्राप्त होती,

होगी, इनमें से जो भी उच्चतर हो ;

(ड.) किसी बैंक खाते का मूल्य,-

(I) खाता खोलने की तारीख से बैंक के खाते में किए गए सभी निक्षेपों की धनराशि, होगा ; या

(II) जहां ऐसे खाते की घोषणा, अध्याय 6 के अधीन की गई है और खाते का मूल्य उपखंड (I) के अधीन यथा संगणित खाते का मूल्य उस अध्याय के अधीन कर और शास्ति से प्रभारित किया गया है, वहां ऐसी घोषणा की तारीख से बैंक के खाते में किए गए सभी निक्षेपों की धनराशि होगा :

परंतु जहां कोई निक्षेप खाते से किसी प्रत्याहरण के आगमों से किया जाता है वहां खाते के मूल्य की संगणना करते समय ऐसे निक्षेप को विचार में नहीं लिया जाएगा ।

(च) किसी भागीदारी फर्म में या किसी व्यक्ति-संगम या किसी सीमित दायित्व भागीदारी में किसी व्यक्ति के, जिसका वह सदस्य है, हित का मूल्य खंड (छ) में विनिर्दिष्ट रीति से अवधारित किया जाएगा ।

(छ) मूल्यांकन की तारीख को किसी फर्म, व्यक्ति-संगम या सीमित दायित्व भागीदारी की शुद्ध आस्ति का पहले अवधारण किया जाएगा और फर्म, व्यक्ति-संगम या सीमित दायित्व भागीदारी के शुद्ध आस्ति का ऐसा भाग, जो उसकी पूंजी की रकम के बराबर है, उसके भागीदारों या सदस्यों के बीच ऐसे अनुपात में, जिसमें उनके द्वारा पूंजी का अभिदाय किया गया है, आबंटित किया जाएगा और शुद्ध आस्ति का शेष भाग, फर्म या संगम में विघटन की दशा में आस्तियों के वितरण के लिए भादीगार या संगम के करार के अनुसार या ऐसे करार के अभाव में ऐसे अनुपात में जिसमें भागीदार या सदस्य लाभ का हिस्सा पाने के हकदार हैं, भागीदारों या सदस्यों में आबंटित किया जाएगा और आबंटित धनराशि की कुल रकम को भागीदारी या संगम में के उस भागीदार या सदस्य के हित के मूल्य के रूप में माना जाएगा ।

स्पष्टीकरण : इस खंड के प्रयोजन के लिए फर्म, व्यक्ति-संगम या सीमित दायित्व भागीदारी की शुद्ध आस्ति (ए+बी-एल) **होगी जिसका** अवधारण खंड (ग) के उपखंड (II) में उपबंधित रीति से किया जाएगा ।

(ज) किसी अन्य आस्ति का मूल्यांकन--

(i) अर्जन की लागत या विनिहित की गई रकम से उच्चतर होगा ; और

(ii) आस्ति की उस कीमत से उच्चतर होगा, जो किसी आसन्ननिकट संव्यवहार में मूल्यांकन की तारीख को उसे खुले बाजार में बेचे जाने

पर प्राप्त होती ;

और भारतीय करेंसी में संपरिवर्तन के अथवा विदेशी करेंसी के संयुक्त राज्य अमेरिका के डालर में और तत्पश्चात् भारतीय करेंसी में संपरिवर्तन के प्रयोजन के लिए तारीख-

(2) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई आस्ति (बैंक खाते से भिन्न) मूल्यांकन की तारीख के पूर्व अंतरित कर दी जाती है, वहां ऐसी आस्ति का उचित बाजार मूल्य अर्जन की उसकी लागत और विक्रय कीमत से उच्चतर होगा :

परंतु जहां ऐसी आस्ति मूल्यांकन की तारीख से पूर्व प्रतिफल के बिना या अपर्याप्त प्रतिफल पर अंतरित की जाती है वहां आस्ति का उचित बाजार मूल्य अर्जन की उसकी लागत और अंतरण की तारीख को उसके उचित बाजार मूल्य से उच्चतर होगा ।

(3) जहां किसी नई आस्ति का या किसी पुरानी आस्ति के अंतरण के मद्दे प्राप्त प्रतिफल के परिणामस्वरूप या किसी बैंक खाते से राशि निकालकर अर्जन किया गया है या वह बनाई गई है वहां उपनियम (1) और उपनियम (2) तक के अनुसार अवधारित पुरानी आस्ति का उचित बाजार मूल्य या बैंक खाते से निकाली गई राशि में से नई आस्ति में विनिहित प्रतिफल को राशि को कम कर दिया जाएगा ।

दृष्टांत

भारत के बाहर अवस्थित गृह संपत्ति (एच 1) वर्ष 1997 में बीस लाख रुपए में खरीदी गई थी । वर्ष 2001 में वह पच्चीस लाख रुपए में बेच दी गई थी और वह राशि विदेशी बैंक खाते (बीए) में जमा कर दी गई थी । वर्ष 2002 में एक अन्य गृह संपत्ति (एच 2) तीस लाख रुपए में खरीदी गई थी । गृह संपत्ति में विनिधान 'बी.ए.' से राशि निकालकर किया गया था । एच 2 को मूल्यांकन की तारीख के पूर्व अंतरित नहीं किया गया है और मूल्यांकन की तारीख को इसका मूल्य पचास लाख रुपए है । इस बात को मानते हुए कि 'बी.ए.' का नियम 3(1)(ड.) के अधीन यथा संगणित मूल्य सत्तर लाख रुपए है, आस्तियां उचित बाजार मूल्य (एफएमवी) निम्नानुसार होगा :

एच 1 का एफएमवी : (बीस लाख रुपए और पच्चीस लाख रुपए का उच्चतर)- (बीए) में विनिहित) पच्चीस लाख रुपए = शून्य

बीए का एफएमवी : सत्तर लाख रुपए – (एच 2 में विनिहित) तीस लाख रुपए = चालीस लाख रुपए

एच 2 का एफएमवी (तीस लाख रुपए और पचास लाख रुपए का उच्चतर) = पचास लाख रुपए

(4) ऐसी किसी करेंसी में, जो विदेशी मुद्रा प्रबंध विनियम के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभिहित करेंसियों में से एक अनुज्ञात करेंसी है, किसी आस्ति के उचित बाजार मूल्य को, मूल्यांकन की तारीख को भारतीय रिजर्व बैंक की निर्देश दर के अनुसार भारतीय करेंसी में संपरिवर्तित किया जाएगा ।

(5) जहां उचित बाजार मूल्य का अवधारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभिहित करेंसियों में अनुज्ञात करेंसी से भिन्न करेंसी में किया जाता है, वहां ऐसे मूल्य को उस देश के सेंट्रल बैंक द्वारा या जिसकी अधिकारिता में वह आस्ति अवस्थित है, विनिर्दिष्ट दर के अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स (संयुक्त राज्य अमेरिका) के डालर में मूल्यांकन की तारीख को संपरिवर्तित किया जाएगा और यूनाइटेड स्टेट्स डालर में के ऐसे मूल्य को भारतीय रिजर्व बैंक की निर्देश दर के अनुसार भारतीय करेंसी में मूल्यांकन की तारीख को संपरिवर्तित किया जाएगा :

परंतु जहां उस देश के या जिसकी अधिकारिता में वह आस्ति अवस्थित है, सेंट्रल बैंक द्वारा अपनी स्थानीय करेंसी से यूनाइटेड स्टेट्स डालर में संपरिवर्तन किए जाने की दर विनिर्दिष्ट नहीं की गई है वहां वह दर ऐसी दर होगी जो उस देश या अधिकारिता की विधियों या अधिकारिता के अधीन विनियमित किसी अन्य बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट की गई है ।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजन के लिए,-

(क) ''स्थापित प्रतिभूति बाजार'' से ऐसा कोई एक्सचेंज अभिप्रेत है जो ऐसी किसी सरकारी इकाई द्वारा, जिसमें बाजार अवस्थित है, मान्यताप्राप्त है और जिसका एक्सचेंजों में क्रय-विक्रय किए गए शेयरों का एक अर्थ पूर्ण वार्षिक मूल्य है ;

(ख) एक्सचेंज में क्रय-विक्रय किए गए शेयरों का अर्थपूर्ण वार्षिक मूल्य, यदि उसका एक्सचेंज या पूर्ववर्ती एक्सचेंज में क्रय-विक्रय किए गए शेयरों का वार्षिक मूल्य, उस कलैंडर के, जिसमें अवधारण किया जाता है, ठीक पूर्ववर्ती प्रत्येक तीन कलैंडर वर्षों के दौरान एक बिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डालर से अधिक है ;

(ग) शेयरों के प्रत्येक वर्ग के संबंध में, सतत् आधार पर क्रय-विक्रय की अर्थपूर्ण मात्रा से अभिप्रेत है- (i) ऐसे प्रत्येक वर्ग में, अल्प मात्रा से भिन्न ऐसे क्रय-विक्रय, जो पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष के दौरान कम से कम साठ कारबार दिनों में एक या अधिक स्थापित प्रतिभूति बाजारों में, किए

जाते हैं ; (ii) ऐसे प्रत्येक वर्ग में शेयर की, जिनका पूर्ववर्ष के दौरान ऐसे बाजार या बाजारों में क्रय-विक्रय किया जाता है, ऐसी सकल संख्या पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष के दौरान उस वर्ग में बकाया शेयरों की औसात संख्या का कम से कम दस प्रतिशत होगी ;

(घ) "कोट किए गए शेयर या प्रतिभूति" से ऐसा शेयर या प्रतिभूति अभिप्रेत है जिसका किसी स्थापित प्रतिभूति बाजार में सतत् आधार पर क्रय-विक्रय का एक अर्थपूर्ण भाग है और उनको व्यौहारियों द्वारा नियमित रूप से कोट किया जाता है जहां कि वे उन ग्राहकों, जो कारबार के सामान्य अनुक्रम में व्यौहारी के नातेदार नहीं हैं, से सक्रिय रूप से शेयर क्रय करते हैं और उनको शेयर बेचते हैं ;

(ङ) ''कोट न किया गया शेयर या प्रतिभूति'' से शेयर या प्रतिभूति के संबंध में, ऐसा शेयर या प्रतिभूति अभिप्रेत है, जो कोट न किया गया कोई शेयर या प्रतिभूति है ।

स्पष्टीकरण 2 - उपनियम (1) में निर्दिष्ट बाजार मूल्य का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए और भारतीय करेंसी में संपरिवर्तन के अथवा विदेशी करेंसी के संयुक्त राज्य अमेरिका के डालर में और तत्पश्चात् भारतीय करेंसी में संपरिवर्तन के प्रयोजन के लिए तारीख-

(क) अधिनियम की धारा 59 के अधीन घोषित आस्ति के संबंध में 26 मई, 2015 होगी ;

(ख) किसी अन्य मामले में पूर्ववर्ष के अप्रैल का प्रथम दिन होगी ।

4. **कर प्राधिकारी**- धारा 8 के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी, संयुक्त आयुक्त, आयुक्त (अपील), आयुक्त या प्रधान आयुक्त, मुख्य आयुक्त या प्रधान मुख्य आयुक्त कर प्राधिकारी होंगे ।

5. **मांग सूचना**- जहां अधिनियम के उपबंधों के अधीन पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप कोई कार, ब्याज या शास्ति संदेय है, वहां निर्धारण अधिकारी प्ररूप 1 में एक मांग सूचना की, उसमें इस प्रकार संदेय राशि को विनिर्दिष्ट करते हुए, निर्धारिती पर तामील कराएगा ।

6. **आयुक्त (अपील) को अपील**- (1) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन अपील प्ररूप 2 में आयुक्त (अपील) को की जाएगी ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट अपील के प्ररूप, अपील के आधारों और किसी निर्धारिती के संबंध में उसके साथ उपाबद्ध सत्यापन के प्ररूप पर उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसके द्वारा उसे सत्यापित किया जाएगा जो आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 140 के अधीन, निर्धारिती को यथा लागू आय की विवरणी पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत है ।

(3) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई प्रत्येक अपील के साथ दस हजार रुपए की फीस दी जाएगी ।

(4) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि अपील के फाइल किए जाने के समय निर्धारिती द्वारा कर का शास्ति तथा उस पर संदेय ब्याज का, जिसके प्रति निर्धारिती द्वारा आक्षेप नहीं किया गया है, संदाय न कर दिया गया हो ।

7. **अपील अधिकरण को अपील** – (1) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन अपील अधिकरण को अपील प्ररूप 3 में की जाएगी और जहां अपील निर्धारिती द्वारा की जाती है वहां अपील के प्ररूप, अपील के आधारों और उसके साथ उपाबद्ध सत्यापन के प्ररूप पर नियम 6 के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

(2) अपील अधिकरण की धारा 18 की उपधारा (4) के अधीन प्रति आक्षेपों का ज्ञापन प्ररूप 4 में तैयार किया जाएगा और जहां प्रति आक्षेपों का ज्ञापन निर्धारिती द्वारा तैयार किया जाता है वहां प्रति आक्षेपों के ज्ञापन का प्ररूप, प्रति आक्षेपों के आधारों और उससे उपाबद्ध सत्यापन के प्ररूप पर नियम 6 के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

(3) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई प्रत्येक अपील के साथ पांच हजार रुपए की फीस दी जाएगी ।

8. **कर बकाया का प्ररूप** – धारा 31 या धारा 33 के अधीन कर बकाया का विवरण कर वसूली अधिकारी द्वारा प्ररूप 5 में तैयार किया जाएगा ।

9. **भारत के बाहर अवस्थित अप्रकटित आस्ति की धारा 59 के अधीन घोषणा**- (1) भारत के बाहर अवस्थित किसी अप्रकटित आस्ति के संबंध में अधिनियम की धारा 59 के अधीन की घोषणा प्ररूप 6 में की जाएगी ।

(2) प्रधान आयुक्त या आयुक्त, भारत के बाहर अवस्थित अप्रकटित आस्ति के संबध में घोषणाकर्ता द्वारा अधिनियम की धारा 63 की उपधारा (2) के अधीन कर का शास्ति के साथ,

संदाय करने का सबूत प्रस्तुत किए जाने के पन्द्रह दिन के भीतर उसका अभिस्वीकृति पत्र प्ररूप 7 में घोषणाकर्ता को देगा ।

10. **शैक्षणिक अर्हताएं**- धारा 78 की उपधारा (3) के खंड (च) के प्रयोजन के लिए शैक्षणिक अर्हताएं वे होंगी जो आयकर नियम, 1962 के नियम 51 में विहित है ।

11. **कतिपय मामलों में प्राधिकारी**- धारा 78 की उपधारा (4) के खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए, उन कार्यवाहियों से संबंधित मामले पर अधिकारिता रखने वाला प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त प्राधिकारी होगा जिसके संबंध में आयकर व्यवसायी के विरुद्ध अवचार का दोषी होने का अभिकथन किया गया है ।

12. **आय, आस्ति मूल्य और कर का पूर्णांकन**- धारा 79 के प्रयोजन के लिए अधिनियम के अनुसार संगणित अप्रकटित आय और आस्ति की रकम और अधिनियम के अधीन निर्धारिती को संदेय या उसके द्वारा प्राप्य किसी रकम को, यथास्थिति, एक सौ रुपए या दस रुपए के निकटतम गुणक में पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए जहां ऐसी रकम में रुपए के भाग रूप में पैसे अंतर्विष्ट हैं, तब यदि ऐसा भाग पचास पैसा या उससे अधिक है तो उसे एक रुपया कर दिया जाएगा और यदि ऐसा भाग पचास पैसे से कम है तो उसे छोड़ दिया जाएगा ।

परिशिष्ट

प्ररुप 1
मांग की सूचना

सेवा में,

....
.... प्रास्थिति ....
.... पैन ....

1. आपको यह सूचना दी जाती है कि निर्धारण वर्ष .... के लिए .... रुपए की राशि, जिसके ब्यौरे इसके पिछली ओर दिए गए है, को आपके द्वारा संदेय अवधारित किया गया है ।

2. यह रकम प्रबंधक, प्राधिकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक को .... में .... इस सूचना की तामील के भीतर संदत्त की जानी चाहिए । अपर/संयुक्त आयुक्त का पूर्वानुमोदन उपरोक्त राशि का तीस दिन से अन्यून अवधि के भीतर संदाय अनुज्ञात करने के लिए अभिप्राप्त कर लिया गया है ।

3. यदि आप ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर रकम का संदाय नहीं करते हैं तो उसकी वसूली के लिए काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण नियम, 2015 की धारा 30 से धारा 39 के अनुसरण में कार्यवाहियां की जाएंगी ।

4. यदि आप निर्धारण या शास्ति के विरुद्ध अपील करने का आशय करते हैं तो आप अधिनियम की धारा 15 के अधीन आयुक्त (अपील) को .... इस सूचना की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर नियम 6 में यथाविहित प्ररुप 2 में उस प्ररुप में यथाविहित सम्यकता स्टांप लगाए हुए और सत्यापित रूप में अपील प्रस्तुत कर सकेंगे ।

5. रकम आयुक्त (अपील) के आदेश के परिणामस्वरूप शोध्य हो गया है । यदि आप पूर्वोक्त आदेश के विरुद्ध अपील करने का आशय करते हैं तो आप अधिनियम की धारा 18 के अधीन आयकर अपील अधिकरण को .... इस आदेश की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर नियम 7 में यथाविहित प्ररुप 3 में उस प्ररुप में यथाविहित सम्यकता स्टांप लगाए हुए और सत्यापित रूप में अपील प्रस्तुत कर सकेंगे ।

स्थान ....
तारीख .... निर्धारण अधिकारी

....

पता

टिप्पण :

1. अनुपयुक्त पैराओं और शब्दों का लोप करें ।
2. यदि आप चैक द्वारा रकम का संदाय करने की इच्छा करते हैं तो चैक प्रबंधक, प्राधिकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक के नाम आहरित किया जाएगा ।

प्ररूप 2

[देखें नियम 6(1)]

आयकर आयुक्त (अपील) को अपील

आयुक्त (अपील) का पदनाम

20 .... की संख्या* ....

1. अपीलार्थी का नाम और पता

2. स्थायी लेखा संख्या

3. वह निर्धारण वर्ष, जिसके संबंध में अपील की गई है

4. निर्धारण अधिकारी जिसके द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील की गई है

5. काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण नियम, 2015 की धारा और उपधारा, जिसके अधीन निर्धारण अधिकारी ने वह आदेश पारित किया है, जिसके विरुद्ध अपील की गई है और ऐसे आदेश की तारीख

6. क्या अपील किसी निर्धारण या शास्ति से संबंधित है, सुसंगत मांग की सूचना की तामील की तारीख

7. किसी अन्य मामले में आदेश की संसूचना की तामील की तारीख, जिसके विरुद्ध अपील की गई है

8. काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण नियम, 2015 की धारा और उपधारा, जिसके विरुद्ध अपील की गई है

9. अपील में दावा किया गया अनुतोष

10. आदेश से उद्भूत शास्ति और ब्याज सहित कर की रकम, जिसमें अपील की गई है, जिस पर अपीलार्थी द्वारा अपील में आक्षेप नहीं किया गया है

11. क्या मद 10 में निर्दिष्ट अविवादित रकम का संदाय कर दिया गया है (यदि हां, तो संदाय की तारीख, चालान सं. और संदत्त रकम के ब्यौरे दें)

12. **क्या अपीलार्थी के मामले में किसी आयुक्त (अपील) के पास किसी अन्य निर्धारण वर्ष के संबंध में कोई अपील लंबित है तो निम्नलिखित के संबंध में ब्यौरे दें --

(क) आयुक्त (अपील), जिसके पास अपील लंबित हैं ;

(ख) वह निर्धारण वर्ष, जिसके लिए अपील की गई है ;

(ग) वह निर्धारण अधिकारी, जिसके द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील की गई है ;

(घ) अधिनियम की धारा और उपधारा, जिसके अधीन निर्धारण अधिकारी ने वह आदेश पारित किया, जिसके विरुद्ध अपील की गई है और ऐसे आदेश की तारीख

13. पता, जिस पर अपीलार्थी को सूचना भेजी जा सकेगी

....
ह./-
(अपीलार्थी)

तथ्यों का विवरण

अपील के आधार

....
ह./-
(अपीलार्थी)

सत्यापन का प्ररूप

मैं .... अपीलार्थी घोषणा करता हूं कि ऊपर किया गया कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है ।

आज .... तारीख को सत्यापित

स्थान ....

हस्ताक्षर

टिप्पण :

1. अपील का प्ररुप, अपील के आधारों और उससे उपाबद्ध सत्यापन के प्ररूप पर व्यक्ति द्वारा नियम 6(2) के उपबंधों के अनुसार हस्ताक्षर किए जाएंगे ।
2. अपील ज्ञापन, तथ्यों का विवरण और अपील के आधार दो प्रतियों में उस आदेश की प्रति, जिसके विरुद्ध अपील की गई है और मूल मांग की सूचना, यदि कोई हों, सहित होंगे ।
3. अनुपयुक्त शब्दों का लोप करें ।
4. *इन विशिष्टियों को आयुक्त (अपील) के कार्यालय में भरा जाएगा ।
5. यदि यहां दिया गया स्थान अपर्याप्त है तो इस प्रयोजन के लिए पृथक् संलग्नकों का उपयोग किया जा सकेगा ।
6. **यदि अपीलें एक से अधिक निर्धारण वर्ष के संबंध में लंबित हैं तो प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए पृथक् विशिष्टियां दी जाएं ।
7. अपील ज्ञापन के साथ दस हजार रुपए की फीस संलग्न होगी ।

8. फीस को प्राधिकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा में जमा किया जाना चाहिए ।

प्ररूप 3

[देखें नियम 7(1)]

अपील अधिकरण को अपील का प्ररूप

अपील अधिकरण .... में

20 .... की अपील संख्या* ....

....

....

अपीलार्थी बनाम प्रत्यर्थी

1. वह राज्य, जिसमें निर्धारण किया गया था
2. निर्धारिती का स्थायी लेखा संख्यांक

(अपीलार्थी/प्रत्यर्थी)

3. धारा, जिसके अधीन वह आदेश पारित किया गया है, जिसके विरुद्ध अपील की गई है
4. निर्धारण वर्ष, जिसके संबंध में अपील की गई है
5. मद 4 में निर्दिष्ट निर्धारण के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित कुल अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां
6. मूल आदेश पारित करने वाला निर्धारण अधिकारी
7. काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण नियम, 2015 की धारा, जिसके अधीन निर्धारण अधिकारी ने आदेश पारित किया था
8. धारा 12/धारा 15/धारा 45 के अधीन आदेश पारित करने वाला आयुक्त (अपील)
9. उस आदेश को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, संसूचित करने की तारीख
10. वह पता, जिस पर अपीलार्थी को सूचना भेजी जा सकेगी
11. वह पता, जिस पर प्रत्यर्थी को सूचना भेजी जा सकेगी
12. अपील में दावा किया गया प्रतितोष

अपील के आधार

1. 2. 3. 4. आदि

....

हस्ताक्षर हस्ताक्षर

(प्राधिकृत प्रतिनिधि, यदि कोई हों) (अपीलार्थी)

सत्यापन

मैं .... अपीलार्थी घोषणा करता हूं कि ऊपर किया गया कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है ।

आज .... तारीख को सत्यापित

स्थान ....

हस्ताक्षर

टिप्पण :

1. उक्त अपील प्राधिकारी के समक्ष फाइल किया गया अपील ज्ञापन तीन प्रतियों में होगा और उसके साथ दो प्रतियां (कम से कम, जिसमें से एक प्रमाणित प्रति होनी चाहिए) उस आदेश की होंगी, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, दो प्रतियां निर्धारण अधिकारी के सुसंगत आदेश, पहले अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील के आधारों की दो प्रतियां, दो प्रतियां तथ्यों के कथन, यदि कोई हों, होगा ।
2. निर्धारिती द्वारा धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन अपील ज्ञापन के साथ पच्चीस हजार रुपए की फीस संलग्न होगी ।
3. फीस को प्राधिकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा में चालान अभिप्राप्त करने के पश्चात् जमा किया जाएगा और तीन प्रतियों में चालान को अपील ज्ञापन के साथ अपील अधिकरण को भेजा जाएगा । अपील अधिकरण चैक, ड्राफ्ट, हुंडी या अन्य परक्राम्य लिखित को स्वीकार नहीं करेगा ।
4. अपील ज्ञापन अंग्रेजी में लिखा होगा या यदि अपील को अपील अधिकरण अध्यक्ष द्वारा आयकर (अपील अधिकरण) नियम, 1963 के नियम 5क के प्रयोजनों के लिए तत्समय अधिसूचित किसी ऐसे राज्य में फाइल किया जाता है तब अपीलार्थी के विकल्प पर हिन्दी में लिखा जाएगा और उसमें स्पष्ट रूप से और सुभिन्न शीर्षकों के अधीन अपील के आधारों को तर्क या विवरण के बिना दिया जाएगा और ऐसे आधारों को लगातार संख्यांकित किया जाएगा ।
5. *अपील की संख्या और वर्ष को अपील अधिकरण के कार्यालय में भरा जाएगा ।

6. अनुप्रयुक्त स्तंभों का लोप करें, यदि दिया गया स्थान अपर्याप्त है तो इस प्रयोजन के लिए पृथक् संलग्नकों का उपयोग किया जा सकेगा ।

प्ररूप 4

[देखें नियम 7(2)]

अपील अधिकरण के लिए प्रति आक्षेपों के ज्ञापन का प्ररूप

आयकर अपील अधिकरण .... में

.... की प्रति आक्षेप संख्या* ....

.... की अपील संख्या** ....

....
....

अपीलार्थी बनाम प्रत्यर्थी

1. अपील अधिकरण द्वारा आबंटित अपील संख्या**, जिससे प्रति आक्षेपों का ज्ञापन संबंधित है
2. वह राज्य, जिसमें निर्धारण किया गया था
3. धारा, जिसके अधीन वह आदेश पारित किया गया है, जिसके विरुद्ध अपील की गई है
4. निर्धारण वर्ष, जिसके संबंध में प्रति आक्षेपों का ज्ञापन किया गया है
5. अधिकरण में अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई अपील की सूचना की प्राप्ति की तारीख
6. वह पता, जिस पर प्रत्यर्थी (प्रति आक्षेपकर्ता) को सूचनाएं भेजी जा सकेंगी
7. वह पता, जिस पर अपीलार्थी को सूचना भेजी जा सकेगी
8. †प्रति आक्षेपों के ज्ञापन में दावा किया गया प्रतितोष

†प्रति आक्षेपों के आधार

1.
2.
3.
4. आदि

....

हस्ताक्षर हस्ताक्षर

(प्राधिकृत प्रतिनिधि, यदि कोई हों) (प्रत्यर्थी)

सत्यापन

मैं .... प्रत्यर्थी घोषणा करता हूं कि ऊपर किया गया कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है ।

आज .... तारीख को सत्यापित

....

हस्ताक्षर

टिप्पण :

1. प्रति आक्षेप ज्ञापन अनिवार्यता तीन प्रतियों में होगा ।
2. प्रति आक्षेप ज्ञापन अंग्रेजी में लिखा होगा या यदि ज्ञापन को अपील अधिकरण अध्यक्ष द्वारा आयकर (अपील अधिकरण) नियम, 1963 के नियम 5क के प्रयोजनों के लिए तत्समय अधिसूचित किसी ऐसे राज्य में फाइल किया जाता है तब प्रत्यर्थी के विकल्प पर हिन्दी में लिखा जाएगा और उसमें स्पष्ट रूप से और सुभिन्न शीर्षकों के अधीन आक्षेपों के आधारों को तर्क या विवरण के बिना दिया जाएगा और ऐसे आधारों को लगातार संख्यांकित किया जाएगा ।
3. *प्रति आक्षेप ज्ञापन की संख्या और वर्ष को अपील अधिकरण के कार्यालय में भरा जाएगा ।
4. **अधिकरण के कार्यालय द्वारा यथा आबंटित अपील संख्या** और वर्ष और जो प्रत्यर्थी द्वारा प्राप्त अपील की सूचना में दर्ज है उसे यहां प्रत्यर्थी द्वारा भरा जाएगा ।
5. †यदि दिया गया स्थान अपर्याप्त है तो इस प्रयोजन के लिए पृथक् संलग्नकों का उपयोग किया जा सकेगा ।

प्ररूप 5

[देखें नियम 8]

काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण नियम, 2015 की धारा 31 या धारा 33 के अधीन प्रमाणपत्र

.... कर वसूली अधिकारी का कार्यालय

तारीख ....

सेवा में,

.... (पैन)

....

1. *यह प्रमाणित किया जाता है कि .... रुपए की राशि आपसे .... की प्रास्थिति में शोध्य हो गई है, जिसके ब्यौरे इसके पिछली ओर दिए गए हैं ।

एक प्रमाणपत्र, जिसकी क्रम संख्या .... है तारीख .... कर वसूली अधिकारी .... (स्थान का नाम) द्वारा .... रुपए की राशि की वसूली के लिए अग्रेषित किया गया है, जिसके ब्यौरे इसके पिछली ओर दिए गए हैं और उक्त कर वसूली अधिकारी ने उक्त प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति अद्योहस्ताक्षरी को काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण नियम, 2015 की धारा 33(2) के अधीन .... रुपए की राशि, जिसे आपसे वसूल किया जाना है, अग्रेषित की है ।

2. आपको इस सूचना की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर उक्त राशि का संदाय करने का अनुदेश दिया जाता है, जिसमें असफल रहने पर वसूली काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण नियम, 2015 की धारा 31 से धारा 39 के उपबंधों और आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची तथा उसके तदधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में की जाएगी ।

3. पूर्वोक्त राशि के अतिरिक्त आप सूचना और वारंटों की तामील तथा अन्य प्रक्रियाओं और बकाया की वसूली के लिए की गई सभी अन्य प्रक्रियाओं के संबंध में उपगत सभी लागतों, प्रभारों और व्ययों के लिए भी दायी होंगे ।

मुहर

....

कर वसूली अधिकारी

*जो पैरा लागू न हो उसे काट दें ।

बकाया की रकम के ब्यौरे

	रकम (रुपए में)	निर्धारण वर्ष
1. कर 2. धारा ..... के अधीन शास्ति 3. धारा .... के अधीन ब्याज 4. कोई अन्य राशि (ब्यौरे दें) 5. योग		

[काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण नियम, 2015]

प्ररुप 6

अप्रकटित विदेशी आस्ति के लिए कर अनुपालन

(नियम 9(1) देखें)

काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 की धारा 59 के अधीन भारत से बाहर अवस्थित अप्रकटित आस्ति की घोषणा का प्ररुप

सेवा में

प्रधान आयुक्त/आयुक्त

....

महोदय/महोदया,

मैं, काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 की धारा 59 के अधीन निम्नलिखित घोषणा करता/करती हूं । मैं आवश्यक विशिष्टियां नीचे दे रहा/रही हूँ :-

1. घोषणाकर्ता का नाम ....
2. पता : कार्यालय ....

....

ई-मेल... दूरभाष सं. ....

निवास...

....

ई-मेल... दूरभाष सं. ....

3. स्थायी लेखा सं. (पैन) ....

(यदि पैन न हो तो कृपया पैन के लिए आवेदन करें और यहां उत्कथित करें)

4. मूल/संशोधित घोषणा ....

(यदि संशोधित हो तो मूल घोषणा फाइल करने की तारीख दें)

5. घोषणाकर्ता की प्रास्थिति ....

(क) यदि व्यष्टि, हिंदू अविभाजित कुटुंब, फर्म, कंपनी इत्यादि हैं तो विवरण दें ....

(ख) यदि निवासी/अनिवासी/मामूली तौर पर अनिवासी नहीं है तो विवरण दें ....

6. क्या कोई आयकर विवरणी फाइल की गई है ? हाँ/नहीं । यदि हां, तो निम्नलिखित ब्यौरें दें

(क) निर्धारण वर्ष, जिसके लिए अंतिम विवरणी फाइल की गई है ....

(ख) यदि उपरोक्त विवरणी कागजपत्र में फाइल की गई है तो निर्धारण अधिकारी जिसके समक्ष फाइल की गई है ....

7. भारत से बाहर अवस्थित अप्रकटित आस्ति का विवरण (उपाबंध के अनुसार)

8. भारत से बाहर अवस्थित अप्रकटित आस्ति की घोषणा की कुल रकम रु0 ....

9. उस पर संदेय कर (मद 8 की 30 प्रतिशत दर पर) रु0 ....

10. उस पर संदेय शास्ति (मद 8 की 30 प्रतिशत दर पर) रु0 ....

11. घोषणा की तारीख को या उससे पूर्व संदत्त कर, यदि कोई हो रु0 ....
(संदाय का सबूत संलग्न करें और निम्नलिखित ब्यौरे दें)

क्रम सं.	बैंक का बी एस आर कोड	निक्षेप की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	चालान की क्रम सं.	राशि (रु0)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
i				
ii				

12. अतिशेष कर संदेय ....

सत्यापन

मैं, (पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में)............. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..................................(पिता या पति का नाम) सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि -

(क) इस घोषणा में दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है;

(ख) मेरी अपनी अप्रकटित विदेशी आस्ति और अन्य व्यक्तियों की मेरी अप्रकटित विदेशी आस्ति जिसके संबंध में भी मुझ पर कर प्रभार्य है तथा अन्य व्यक्ति के माध्यम से मेरे द्वारा धारित आस्ति से प्रोदभूत या उद्भूत आय, जिसके लिए मैं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 के अधीन विवरणी देने में विफल रहा हूँ/अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व मेरे द्वारा दी गई आय की विवरणी में प्रकट करने में विफल रहा हूँ/जिसका अन्यथा निर्धारण नहीं हो पाया है इस घोषणा में प्रकट किया गया है ;

(ग) विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के संबंध में धारा 71(क) के उपबंध मुझ पर लागू नहीं है;

(घ) भारतीय दंड संहिता, स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के संबंध में धारा 71(ख) के उपबंध मुझ पर लागू नहीं है;

(ड.) अधोहस्ताक्षरी को विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध निवारण) अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन अधिसूचित नहीं किया गया है;

(च) घोषित आस्ति निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ती वर्ष के लिए आयकर अधिनियम के अधीन प्रभार्य आय से अर्जित नहीं की गई है, -

(i) जहां आयकर अधिनियम की धारा 142 या धारा 143 की उपधारा (2) या धारा 148 या धारा 153क या धारा 153ग के अधीन ऐसे निर्धारण वर्ष के संबंध में कोई नोटिस प्राप्त हुआ है और कार्यवाही निर्धारण अधिकारी के समक्ष लंबित है ;

(ii) जहां पूर्ववर्ती वर्ष में आयकर अधिनियम की धारा 132 के अधीन तलाशी की गई है या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की गई है या धारा 133क के अधीन सर्वेक्षण किया गया है तथा ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष

के लिए धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन या किसी पूर्ववर्ती वर्ष से सुसंगत किसी निर्धारण वर्ष के लिए उक्त अधिनियम की धारा 153क या 153ग के अधीन कोई नोटिस ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ है और ऐसे नोटिस को जारी करने का समय समाप्त नहीं हुआ है ।

मैं और घोषणा करता हूं कि मैं यह घोषणा ....(पदनाम)......................... के रुप में कर रहा हूँ और मैं इस घोषणा को करने के लिए समक्ष हूँ तथा इसको सत्यापित करता हूं ।

.................................हस्ताक्षर

स्थान.......................

तारीख......................

*जो लागू न हो उसे काट दें ।

प्ररुप 6 का उपाबंध

भारत से बाहर अवस्थितअप्रकटित आस्तियों का विवरण

घोषित आस्तियों का वर्णन (एक ही वर्ग में अधिक आस्तियों की दशा में पृथक कागज का प्रयोग में लाएं)

1. बैंक खाता
(क) बैंक का नाम और पता ....
(ख) जिस देश में अवस्थित हैं ....
(ग) खाताधारक का नाम ....
(घ) खाता संख्या
(ड.) खाता खोलने की तारीख
(च) खाते में सभी जमा का योग
(छ) नियम 3 के अनुसार उचित बाजार मूल्य
(यदि (च) से भिन्न है तो पृथक संगणना दें)

2. स्थावर संपत्ति (मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न करें)
(क) संपत्ति का स्वरुप(भूमि/भवन/फ्लैट इत्यादि) ....
(ख) संपत्ति का पता ....
(ग) जिस देश में अवस्थित हैं ....
(घ) अर्जन की तारीख
(ड.) अर्जन की कुल लागत
(च) मूल्यांकन की तारीख को मूल्यांकक द्वारा यथा प्राक्कलित मूल्य
(छ) नियम 3 के अनुसार उचित बाजार मूल्य
(यदि (ड.) या (च) से भिन्न है तो पृथक संगणना दें)

3. आभूषण ((मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न करें)

(क) स्वर्ण
(I) शुद्धता .... भार................मूल्य................
(II) शुद्धता .... भार................मूल्य................

(ख) हीरा (1 कैरेट या अधिक)

(I) कैरेट ...., कट..........., रंग...........,स्वच्छता............ .मूल्य................

(II) कैरेट ...., कट..........., रंग...........,स्वच्छता............ .मूल्य.................

(ग) हीरा (1 कैरेट से कम) और अन्य कीमती रत्न मूल्य.................

(घ) अन्य कीमती धातु मूल्य.................

4. कलात्मक कार्य (मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न करें)

(क) कलात्मक कार्य का स्वरुप ....

(ख) जिस देश में अवस्थित हैं ....

(ग) अर्जन की तारीख ....

(घ) अर्जन की लागत

(ड.) मूल्यांकक द्वारा यथा प्राकल्लित कलात्मक कार्य का मूल्य ....

(च) नियम 3 के अनुसार उचित बाजार मूल्य
(यदि (घ) या (ड.) से भिन्न है तो पृथक संगणना दें)

5. शेयर और प्रतिभूतियां

(क) उत्कथित शेयर और प्रतिभूतियां [नियम 3 (1) (ग)(I)]

(i) प्रतिभूति/शेयर का वर्णन

(क) जारी कर्ता का नाम..............................

(ख) प्रतिभूतियों/शेयरों की संख्या..................

(ग) प्रतिभूति/शेयर का प्रकार.....................

(ii) स्थापित प्रतिभूति बाजार, जहां उत्कथित किया गया है ....

(iii) जिस देश में प्रतिभूति बाजार अवस्थित है...............................

(iv) जिस नाम में है...............................

(v) अर्जन की लागत ....

(vi) अर्जन की तारीख ....

(vii) नियम 3 (1) (ग) (II) के अधीन यथाअवधारित मूल्य

(viii) मूल्यांकन की तारीख ....

(ix) नियम 3 के अनुसार उचित बाजार मूल्य

(यदि (v) या (vii) से भिन्न है तो पृथक संगणना दें)

(ख) अनउत्कथित साधारण शेयर[नियम 3 (1) (ग)(II) मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न करें]

(i) शेयर का वर्णन

(क) जारी कर्ता का नाम..............................

(ख) शेयरों की संख्या...................

(ग) शेयर का प्रकार.....................

(ii) जिस देश में अवस्थित है ....

(iii) जिस नाम में है...............................

(iv) अर्जन की लागत ....

(v) अर्जन की तारीख ....

(vi) नियम 3 (1) (ग) (II) के अधीन यथाअवधारित मूल्य

(vii) मूल्यांकन की तारीख ....

(viii) नियम 3 के अनुसार उचित बाजार मूल्य

(यदि (iv) या (vi) से भिन्न है तो पृथक संगणना दें)

(ग) किसी कंपनी में साधारण शेयरों से अन्य का अनउत्कथित शेयर और प्रतिभूतियां [नियम 3 (I) (ग)(III) मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न करें]

(i) शेयर/प्रतिभूति का वर्णन

(क) जारी कर्ता का नाम..............................

(ख) प्रतिभूतियों/शेयरों की संख्या...................

(ग) प्रतिभूतियों/शेयरों का प्रकार.....................

(ii) जिस देश में अवस्थित है ....

(iii) जिस नाम में है...............................

(iv) अर्जन की लागत ....

(v) अर्जन की तारीख ....

(vi) नियम 3 (I) (ग) (III) के अधीन यथाअवधारित मूल्य

(vii) मूल्यांकन की तारीख ....

(viii) नियम 3 के अनुसार उचित बाजार मूल्य

(यदि (iv) या (vi) से भिन्न है तो पृथक संगणना दें)

6. कोई अन्य आस्ति
(क) आस्ति का वर्णन.................................
(ख) जिस देश में अवस्थित हैं ....
(ग) जिस नाम में है..............................
(घ) नियम 3(1) के अधीन यथाअवधारित मूल्य.............................
(ङ.) मूल्यांकन की तारीख.......................
(च) नियम 3 के अनुसार उचित बाजार मूल्य
(यदि (घ) से भिन्न है तो पृथक संगणना दें)

7. घोषित सभी आस्तियों का कुल उचित बाजार मूल्य ....

8. अधिनियम की धारा 5 के अनुसार कटौती ....
(जहां आय से अधिक आस्ति का भार पहले ही आयकर अधिनियम के अधीन निर्धारित किया गया है) (प्रत्येक आस्ति के संबंध में पृथक्कत: दें)

9. निर्धारण वर्ष, जिसके लिए आयकर अधिनियम की धारा 142/143 (2)/148/153क/153ग के अधीन नोटिस जारी किया गया है, से सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान आस्ति में किए गए विनिधान के कारण कटौती ....

10. घोषित सभी अप्रकटित आस्तियों का कुल उचित बाजार मूल्य (7-8-9) ....
(प्ररुप की मद 8 पर ले जाएं)

.........................हस्ताक्षर

........................नाम

स्थान ....
तारीख...................

टिप्पण –
1. यदि संदेय कर की कुल रकम 31 दिसंबर, 2015 से पूर्व संदत्त नहीं की जाती है तो घोषणा शून्य समझी जाएगी और कभी भी नहीं की गई घोषणा समझी जाएगी ।
2. यदि घोषणा तथ्यों के दुर्व्यपदेशन या छिपाने से की जाती है तो वह शून्य होगी

तथा कभी भी नहीं की गई घोषणा समझी जाएगी ।

प्ररुप 7

अप्रकटित विदेशी आस्ति के लिए कर अनुपालन

[नियम 9(2) देखें]

काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के अध्याय 6 के अधीन अप्रकटित विदेशी आस्ति की घोषणा की अभिस्वीकृति

प्रधान आयुक्त/आयुक्त का कार्यालय,

....

....

अभिस्वीकृत किया जाता है कि काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 की धारा 59 के अधीन की गई घोषणा निम्नलिखित के संबंध में स्वीकृत की गई है:

1) घोषणाकर्ता का नाम और पता ....
....
....

2) पुत्र/पुत्री/पत्नी ....

3) पैन ....

4) घोषणा फाइल करने की रसीद सं. और तारीख ....

5) घोषणा के ब्यौरे [प्ररुप सं. 6 के उपाबंध के अनुसार (प्रधान आयुक्त/ आयुक्त द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना है)]

घोषित और स्वीकृत सभी आस्तियों का कुल उचित बाजार मूल्य रु0 ....

6) घोषित और स्वीकृत आस्तियों पर संदेय कर रु0 ....

7) घोषित और स्वीकृत आस्तियों पर संदेय शास्ति रु0 ....

8) कुल संदेय रकम (6) + (7) रु0 ....

9) संदत्त कर के ब्यौरे

क्रम सं.	बैंक का बीएसआर कोड	निक्षेप की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	चालान की क्रम सं.	राशि (रु0)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
i				
ii				

तारीख....................

(प्रधान आयुक्त/आयकर आयुक्त)

टिप्पण – जब तक संदेय कर और शास्ति की कुल रकम का संदाय नहीं किया जाता है तब तक कोई अभिस्वीकृति जारी नहीं की जाएगी ।

(अधिसूचना सं. 58/2015/फा.सं. 133/33/2015-टीपीएल)

(गौरव कनौजिया)
निदेशक, भारत सरकार